आख़िरत के अज़ाब से ख़ानदान को बचाइए

मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

अनुवादक

एस० ख़ालिद निज़ामी

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला, बड़ा मेहरबान है।"

आख़िरत के अज़ाब से ख़ानदान को बचाइए

क़ुरआन मजीद में अल्लाह का फ़रमान है—

"और अपने क़रीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब (यातना) से डराओ, और जो लोग ईमान लाकर आपकी पैरवी कर रहे हैं उनके लिए अपने बाज़ू (नरमी से) झुका दो, जिनको तुम डरा रहे हो अगर वे तुम्हारी नाफ़रमानी करें तो उनसे कह दो कि तुम जो कुछ कर रहे हो, मैं उससे बेज़ार हूँ (यानी ज़िम्मेदारी से बरी हूँ)। और उस ज़ात पर भरोसा करो जो ज़बरदस्त और रहम फ़रमानेवाला है, जो तुम्हें देखता है जब तुम (तहज्जुद की नमाज़ के लिए) खड़े होते हो, और सजदा करनेवालों में तुम्हारी गतिविधि पर निगाह रखता है। बेशक वह सुननेवाला और जाननेवाला है।" (क़ुरआन, 26 : 214-220)

क़ुरआन मजीद की आयतों और हदीसों से मालूम होता है कि ख़ानदान के मुआशी (आर्थिक) और माद्दी (भौतिक) हुक़ूक़ भी हैं और दीनी व अख़लाक़ी हूक़ूक़ भी। माद्दी हुक़ूक़ का अदा करना जिस तरह ज़रूरी है उसी तरह दीनी ज़िम्मेदारियों का अदा करना भी ज़रूरी है। इसलिए जहाँ यह बात बताई गई है कि बीवी का हक़ पहचानो, बच्चों का हक़ पहचानो, वहीं यह बात भी बयान की गई है कि उनको जहन्नम की आग से बचाओ और उन्हें उसका ईंधन न बनने दो। अल्लाह का फ़रमान है—

> "बचाओ अपने आपको और अपने घरवालों को उस आग से जिसका ईंधन इनसान और पत्थर होंगे।"
> (क़ुरआन, 66 : 6)

सिर्फ़ बीवी-बच्चों के ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान ही के हुक़ूक़ हैं। माँ-बाप, भाई-बहन और दूर व नज़दीक के रिश्तेदार अपने हक़ रखते हैं। उनके हुक़ूक़ को अदा करना ज़रूरी है। इसके साथ ही इस बात से भी बाख़बर किया गया है कि बीवी-बच्चे और ख़ानदानवाले कहीं फ़ितना (आज़माइश) न बन जाएँ। कई बार आदमी ख़ानदान से जज़्बाती ताल्लुक़ की बिना पर उसकी मुहब्बत और हिमायत (तरफ़दारी) में अल्लाह के हुक्मों और हिदायतों को, उसके दीन के खुले तक़ाज़ों को नज़र-अन्दाज़ कर देता है और अल्लाह की नाफ़रमानी के रास्ते पर चल पड़ता है। इससे बचने की सख़्त ताकीद की गई है और साथ ही इसके बुरे अंजाम से भी आगाह किया और

डराया गया है। अल्लाह का फ़रमान है—

> "(ऐ नबी!) इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, और तुम्हारे बेटे, और तुम्हारे भाई, और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे ख़ानदानवाले और तुम्हारे वे माल जो तुमने कमाए हैं, और कारोबार जिसके घाटे से तुम डरते हो, और घर जिन्हें तुम पसन्द करते हो, (ये सब) तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद (जिद्दोजुहद करने) से ज़्यादा महबूब हैं, तो इन्तिज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे, और अल्लाह नाफ़रमानों को रास्ता नहीं दिखाता।" (क़ुरआन, 9:24)

मतलब यह कि बीवी-बच्चे, रिश्तेदार और ख़ानदान के लोग, माल-दौलत, खेती-बाड़ी और कारोबार अल्लाह की मुहब्बत पर हावी हो जाएँ तो अल्लाह के फ़ैसले में भी देर नहीं लगेगी।

> "तो इन्तिज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लागू कर दे।"

यह बात बड़ी सख़्त और हर मुसलमान को चौंका देनेवाली है।

ख़ानदान के साथ जो रवैया एक ईमानवाले का होना चाहिए, उसे क़ुरआन और हदीस में बहुत तफ़सील से बता

दिया गया है। अगर किसी मुसलमान के ख़ानदानवाले, अल्लाह न करे, कुफ़्र (इनकार) और शिर्क (बहुदेववाद) में मुब्तला हैं और दीने-हक़ से फिरे हुए और बेदीनी का शिकार हैं तो उसका फ़र्ज़ है कि वह उन्हें कुफ़्र व शिर्क और बेदीनी से निकालने की कोशिश करे, और साथ ही इस बात की भी कोशिश करे कि वे अल्लाह के फ़रमाँबरदार बन जाएँ। किसी का कोई अपना या रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो वह फ़िक्र और परेशानी में पड़ जाता है और उसके लिए वह दौड़-धूप करता है, दवा-इलाज वग़ैरा की फ़िक्र करता है और अपना रुपया-पैसा और वक़्त उसपर ख़र्च करता है, ऐसा होना भी चाहिए। यह उस रिश्तेदार का हक़ है, और यह उसकी ज़िम्मेदारी भी है कि उसकी ख़िदमत करे। इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि अगर वह किसी दीनी और अख़लाक़ी मर्ज़ में गिरफ़्तार है तो उसे उससे भी बचाने की पूरी-पूरी कोशिश करे। अल्लाह के पैग़म्बरों (अलैहि०) का यही तरीक़ा रहा है। वे जिस तरह दूसरों को दीन की दावत देते थे और हक़ को क़बूल करने की नसीहत करते थे, उसी तरह अपने ख़ानदानवालों को भी दीन की तरफ़ बुलाते थे और उसकी पैरवी करने की नसीहत करते थे।

इसमें शक नहीं की ख़ानदान में बाप-दादा, चाचा-ताया और दूसरे बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं। उनकी बुज़ुर्गी कभी-कभी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उनको उनकी फ़िक्र और अ़मल की ग़लती बताई जाए या उनके ग़लत तौर-तरीक़ों और ज़िन्दगी

गुज़ारने के ढंग पर एतिराज़ किया जाए। उन बुजुर्गों से यह कहना मुशकिल होता है कि वे सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। इसी तरह ख़ानदान में बीवी-बच्चे, भाई-बहन और ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे ग़ैर-मामूली क़ुरबत (नज़दीकी) और जज़्बाती ताल्लुक़ होता है। यह ताल्लुक़ उन्हें उनकी ग़लतियों पर टोकने और उन्हें नसीहत नहीं करने देता और उनको सीधा रास्ता दिखाने में रुकावट बनता है। अल्लाह के पैग़म्बर इन सब समाजी और नफ़सियाती रुकावटों पर ग़ालिब रहते थे और ख़ानदान के छोटे-बड़े हर एक को बिना किसी कमी-बेशी के हक़ पेश करते थे। वे अपने अमल (कर्म) से साबित करते थे कि बाप और चचा को, बीवी और बच्चों को, क़रीबी रिश्तेदारों और दूर व नज़दीक के रिश्तेदारों को दीने-हक़ (सत्य-धर्म) के क़बूल करने और सीधा और सफलता का रास्ता अपनाने की दावत दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। यह अल्लाह का हुक्म है और उसके हुक्म को पूरा करने में किसी ताल्लुक़ को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए।

अल्लाह के रसूलों की इस कोशिश के नतीजे में यह भी हुआ कि ख़ानदान के लोगों को ईमान की दौलत मिली, उन्होंने ने ख़ुदा के दीन को क़बूल किया, उसकी सच्चे दिल से पैरवी की। दीन को फैलाने और उसको लोगों तक पहुँचाने की जो कोशिश पैग़म्बर कर रहे थे उनमें उनका साथ दिया और बेमिसाल क़ुरबानियाँ पेश कीं। इसके साथ यह भी एक हक़ीक़त

है कि ख़ानदान के कुछ क़रीबी लोगों ने पैग़म्बरों पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, उनकी सख़्त मुख़ालिफ़त की, उन्हें सख़्त तकलीफ़ें पहुँचाईं और उनके बदतरीन दुशमन साबित हुए। इबराहीम (अलैहि०) ने अपने बाप को कुफ़्र और शिर्क छोड़ने और तौहीद (एकेश्वरवाद) अपनाने की दावत दी, लेकिन वह अपने कुफ़्र (इनकार) पर जमा रहा और इबराहीम (अलैहि०) को उनकी क़ौम की तरफ़ से जो तकलीफ़ें और मुसीबतें पहुँचीं उन सबमें उसने उनका साथ दिया। नूह (अलैहि०) की दावत और तबलीग़ के बावजूद आप (अलैहि०) की बीवी और बेटे ने आप पर ईमान लाने और आपकी बताई हुई राह पर चलने से इनकार कर दिया। लूत (अलैहि०) की पूरी की पूरी दावत और नसीहत को ठुकराकर उनकी बीवी कुफ़्र और शिर्क की राह पर जमी रही और अपनी बद-किरदार क़ौम का साथ न छोड़ा। यह इस बात का सुबूत है कि अल्लाह के पैग़म्बरों ने नतीजे से बेपरवा होकर अपने ख़ानदान में दावते हक़ (सत्य-प्रचार) का फ़र्ज़ अंजाम दिया, उनकी दावत क़बूल भी की गई और रद्द भी हुई। जिस किसी को सीधा-रास्ता मिलना था उसे मिला और जिसे सीधे रास्ते से महरूम होना था वह महरूम हुआ, लेकिन अल्लाह के पैग़म्बरों ने हर हाल में अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और अल्लाह के यहाँ बेहतरीन बदले के हक़दार हुए।

ठीक यही मामला नबी (सल्ल०) के साथ पेश आया। आप

(सल्ल०) सारी दुनिया के लिए पैग़म्बर हैं, क़ियामत तक आपकी रिसालत क़ायम रहेगी। आप (सल्ल०) को भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो दावत आप दुनिया को पहुँचा रहे हैं उसे अपने रिश्तेदारों और ख़ानदान के लोगों को भी पहुँचाएँ और उन्हें दीने-हक़ (सच्चे दीन) को क़बूल करने की दावत दें। आप (सल्ल०) को जब नुबुव्वत मिली तो आप (सल्ल०) का ख़ानदान, आपकी क़ौम और सारी दुनिया शिर्क और कुफ़्र में मुब्तला थी। वे अनगिनत ख़ुदाओं को मानते और उनकी इबादत करते थे; अल्लाह के दीन और उसकी हिदायत व रहनुमाई से बेख़बर थे। नबी (सल्ल०) को हुक्म दिया गया—

> "(ऐ नबी), अपने क़रीबी रिश्तेदारों को (बूरे अन्जाम से) डराइए।"

क़ुरआन मजीद में 'इनज़ार' लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसके मानी हैं किसी ग़लत काम करनेवाले को डराना और ग़लत रास्ते पर चलने के बुरे अंजाम से आगाह करना। कोई शराबी है तो उसे बताया जाता है कि शराब से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जाएगी। कोई आदमी बदकारी में मुब्तला है तो उसे बताया जाता है कि यह काम तुझे तबाह करके रख देगा। यह तंबीह और चेतावनी अस्ल में उसके साथ बहुत बड़ी भलाई है। लेकिन जो आदमी कुफ़्र और शिर्क में मुब्तला है और अल्लाह की नाफ़रमानी में गिरफ़तार है, वह शराबी और बदकार से ज़्यादः तबाही और बरबादी के रास्ते पर चल रहा है। उसे

उसके बुरे अंजाम से डराना सच्ची भलाई है। यह काम ख़ानदान के अन्दर भी होना चाहिए बल्कि ख़ानदान इसका सबसे पहले और ज़्यादा हक़दार है। और यही बात कुरआन मजीद की आयत 'व अनज़िर अशीर-त-कल-अक़-रबीन' में फ़रमाई गई है। इस आयत में अल्लाह ने ख़ानदान के क़रीबी लोगों को आख़िरत के अज़ाब से डराने की हिदायत देकर कहा है कि उनको उनके अंजाम से आगाह कीजिए।

पैग़म्बरी मिलने के बाद जब आप (सल्ल०) पर पहली वह्य नाज़िल हुई तो आपने अपने ख़ानदान के लोगों को, जो आपके ज़ेहन और मिज़ाज के लिहाज़ से बहुत क़रीब थे और जो आपकी बात संजीदगी और ध्यान से सुन सकते थे उन तक अल्लाह का दीन और उसका पैग़ाम पहुँचाया। इसके नतीजे में आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा), आपके चचेरे भाई हज़रत अली (रज़ि०),जो आपके घर के फ़र्द (सदस्य) और औलाद की तरह थे और आप (सल्ल०) के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम ज़ैद (रज़ि०), जिनकी हैसियत भी घर के मेम्बर की थी, आप (सल्ल०) पर ईमान ले आए। ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था कि आपके चचेरे भाई जाफ़र (रज़ि०) और आप (सल्ल०) के चचा हमज़ा (रज़ि०) भी इस्लाम में दाख़िल हो गए।

शुरू में नबी (सल्ल०) की यह दावत ख़ानदान के ख़ास लोगों तक ही महदूद थी, आम नहीं थी। क़ुरआन मजीद की सूरा शुअरा आयत-214 "व अंज़िर अशी-र-त्त-कल-अक़र-बीन"

उतरी तो आप (सल्ल०) ने अपने पूरे ख़ानदान को अल्लाह के दीन की दावत दी और उसको हक़ के इनकार और मुख़ालिफ़त के अंजाम से ख़बरदार किया।

हक़ीक़त में यह बड़ा ही नाज़ुक और मुशकिल काम था कि अपने ही ख़ानदानवालों से कहा जाए कि वे शिर्क को छोड़कर तौहीद के अक़ीदे को क़बूल करें, बहुत-से ख़ुदाओं की बन्दगी छोड़कर सिर्फ़ एक ख़ुदा की बन्दगी करें। इस दुनिया ही को पहली और आख़िरी न समझें, बल्कि आख़िरत पर ईमान लाएँ और यह यक़ीन रखें कि मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे। इस दुनिया में जो कुछ किया है उस वक़्त उसका हिसाब-किताब होगा। बुरे लोगों को उनका बुरा बदला और नेकी करने वालों को बेहतरीन बदला दिया जाएगा। यह मानकर चलें कि दुनिया की ज़िन्दगी एक दिन ख़त्म हो जानेवाली है और आख़िरत की ज़िन्दगी हमेशा रहने वाली है। आप इसी अक़ीदे के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी के तर्ज़ (जीवन-शैली) को बदलने के लिए तैयार हो जाएँ। इस बात को मान लें कि मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं। सही रास्ता वही है जो आप (सल्ल०) हमें दिखा रहे हैं। इससे हटकर कोई भी दूसरा रास्ता हमें भटका देगा और हर दिन हम मंज़िल से दूर होते चले जाएँगे। आप (सल्ल०) की इस दावत को क़बूल करना आसान न था, लेकिन इसके बावजूद आप (सल्ल०) ने यह काम अंजाम दिया।

रिवायतों से मालूम होता है कि जब सूरा शुअरा की आयत-214 उतरी जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है, तो आप (सल्ल०) को महसूस हुआ कि आपपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है। ख़ानदान की तरफ़ से और क़रीबी लोगों की तरफ़ से इसकी मुख़ालिफ़त हो सकती है। लेकिन अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिबरील (अलैहि०) ने कहा कि आपको इस हुक्म पर लाज़िमी तौर पर अमल करना है। इस हुक्म के आने के बाद नबी (सल्ल०) ने 'सफ़ा' की पहाड़ी पर चढ़कर क़बीले के लोगों को नाम ले-लेकर पुकारा। इस पुकार पर सभी लोग दौड़ पड़े। जो किसी वजह से न आ पाए उन्होंने अपने नुमाइन्दे भेजे ताकि वे देख सकें कि उन्हें किस काम के लिए बुलाया गया है।

जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया—

> "मैं इस चट्टान पर खड़ा हूँ, इस तरफ़ भी देख रहा हूँ और उस तरफ़ भी। अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के उस तरफ़ से दुशमन की फ़ौज आ रही है और तुमपर हमलावर होनेवाली है तो क्या तुम मेरी बात पर यक़ीन करोगे?"

लोगों ने कहा, "क्यों नहीं, हमने आपकी ज़बान से हमेशा सच ही सुना है।"

आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, "जब तुम मुझे सच्चा मान रहे हो तो सुनो, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारी तरफ़ बढ़ा चला आ रहा है, उससे बचने का उपाय करो।"

मतलब यह कि तुम्हारा अक़ीदा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम, तुम्हारे अख़लाक़, तुम्हारी तहज़ीब अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब उमड़ा चला आ रहा है। और मैं तुम्हें इससे ख़बरदार कर रहा हूँ।

इसपर आप (सल्ल०) के चचा अबू लहब ने जवाब दिया, "ऐ मुहम्मद, क्या इसी बात के लिए तुमने हमें इकट्ठा किया था? तुम तबाह हो जाओ।"

नबी (सल्ल०) ने खाने का इन्तिज़ाम किया और अपने क़रीबी रिश्तेदारों को बुलाया। आप (सल्ल०) ने उनके सामने अपनी बात रखी। आप (सल्ल०) ने कहा, "ऐ बनू अब्दुल मुत्तलिब! ख़ुदा की क़सम, मैं नहीं जानता कि अरब का कोई नौजवान अपनी क़ौम के पास इससे बेहतर चीज़ लाया हो जो मैं लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आख़िरत की भलाई लेकर आया हूँ।"

इन वाक़िआत से मालूम होता है कि नबी (सल्ल०) ने ख़ानदानवालों को जहन्नम से बचाने की ज़िम्मेदारी सफ़ा पहाड़ी की बुलन्दी से अंजाम दी और घर पर बुलाकर भी उन्हें अल्लाह

के अज़ाब से डराया।

रिवायतों से मालूम होता है कि ख़ानदान के जो लोग ईमान ले आए थे उन्हें भी आप (सल्ल०) अल्लाह की पकड़ और उसके अज़ाब से बचने की नसीहत किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) की रिवायत है कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया—

> "ऐ क़ुरैशवालो! अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ बनू काब, अपने आपको जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ बनू हाशिम! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ बनू अब्दुल मुत्तलिब! अपने आपको आग से बचाओ। ऐ सफ़िया! रसूल की फूफी और ऐ फ़ातिमा! रसूल की बेटी, अपने आपको आग से बचाओ। मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। तुम मेरे माल में से जो चाहो माँग सकती हो, मैं दूँगा, लेकिन वहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।"

मतलब यह कि तुम यह न समझो कि तुम अल्लाह के पैग़म्बर या उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से वहाँ की पकड़ से बच जाओगे। बल्कि इसके लिए हर एक को ख़ुद अपनी फ़िक्र करनी होगी।

ख़ानदानवालों को बुराई से बचने का हुक्म देने के बाद

अल्लाह ने फ़रमाया कि ईमानवालों के साथ आपका रवैया हमदर्दी और नर्मी, मेहरबानी और मुहब्बत का होना चाहिए, ताकि वे आप (सल्ल०) से अपनापन महसूस करें। अगर बुरे अंजाम से बचाने की इस कोशिश में ख़ानदानवाले आपकी बात न मानें और आप जो पैग़ाम उन्हें दे रहे हैं उसे क़बूल न करें तो आप साफ़-साफ़ बता दीजिए कि तुम्हारे सोचने का जो अन्दाज़ और जीने का जो तरीक़ा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने अल्लाह की इबादत और फ़रमाँबरदारी का रास्ता अपनाया है। अगर आपकी मुख़ालिफ़त हो रही है तो अल्लाह पर भरोसा रखिए, वह आपकी नमाज़ों को देख और दुआओं को सुन रहा है। जिस तरह आपके साथी रातों को उठ-उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और जिस तरह उनकी तरबियत की आप को फ़िक्र है, आप उनके बीच जो दौड़-धूप कर रहे हैं, उन सब बातों को अल्लाह जानता है। वह आपको बे यारो-मददगार नहीं छोड़ेगा।

क़ुरआन में रिश्तेदारों को आख़िरत के अज़ाब से डराने का हुक्म भी है और उनकी मुख़ालिफ़त पर सब्र करने, मज़बूती से जमे रहने और अल्लाह पर भरोसा रखने की हिदायत भी है। इस बड़ी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाने और नमाज़ की पाबन्दी की हिदायत की गई है। क़ुरआन और हदीस की जिन बातों को हमने बिलकुल भुला दिया है उनमें से एक यह भी है कि अल्लाह ने ख़ानदानवालों की

इस्लाह और तरबियत और उन्हें उसके (अल्लाह के) अज़ाब से डराने का जो हुक्म दिया था उसकी तरफ़ हमारी तवज्जोह नहीं रही। हम ख़ानदानवालों की माद्दी तकलीफ़ों में काम आते हैं और उनके दुख-दर्द में शामिल भी होते हैं मगर उनको दीनी और अख़लाक़ी सुधार की तरफ़ हमारी तवज्जोह नहीं होती। अगर इसपर अमल हो तो हमारे ख़ानदानों का नक़शा बदल जाएगा और आज के दौर में लोग उसे मिसाली ख़ानदान की हैसियत से देखने पर मजबूर होंगे।

—o—